कोटा

7-5-24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपील० व उनके अभिभाषक उप० नहीं हैं। रेस्पा० अभिभाषक श्री वीरेन्द्र मालव उप०। पत्रावली बहस के पेंडिंग है। अपीलार्थी व उनके अभिभाषक को 2-3 बार आवाज लगाई गई लेकिन कोई उप० नहीं हुआ। रेस्पा० अभिभाषक ने अपील अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज करने का अनुरोध किया। न्यायहित में अदालत समय समाप्ति से पूर्व पुनः अपीलार्थी व उनके अभिभाषक को आवाज दिलवाई गई लेकिन फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय [illegible] हस्ताक्षर पत्रा० दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) अति. सं. आयुक्त कोटा	8/2022 (हस्ताक्षर) 7/5/24